(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 61 **नई दिल्ली**, 13 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, मुम्बई पत्तन न्यास में दरमान की वैधता 31 जुलाई 2009 तक विस्तारित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/57/2005–एमबीपीटी

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 28 सितम्बर, 2006 द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के दरमान 31 मार्च 2009 तक वैधता अवधि के साथ अधिसूचना सं. 178 दिनांक 1 दिसम्बर 2006 द्वारा अधिसूचित किए थे।

2. एमबीपीटी ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी 2009 द्वारा अपने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल किया है। एमबीपीटी प्रस्ताव पर संबंधित उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार–विमर्श किया गया है।

3. एमबीपीटी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कार्यवाही जारी है और इस मामले पर इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार किए जाने में कुछ और समय लगेगा। अतः एमबीपीटी में मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च 2009 के बाद के लिए विस्तारित किया जाना जरूरी है।

4. अतः यह प्राधिकरण एमबीपीटी में मौजूदा दरमानों की वैधता 31 जुलाई 2009 तक अथवा इसके प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए एमबीपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य